ख हुकम	हुकम क [redacted] शियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 83/2020 अनवान किशनाराम के कायम मुकाम कुशलसिंह वगैराह बनाम भीमाराम के कायम मुकाम चौखाराम वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

1/10/22

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी मौजा जसाई के पुराने खसरा संख्या 223 रकबा 91.02 बीघा, खसरा संख्या 223/2 रकबा 10.00 बीघा कुल रकबा 101.02 बीघा (नये खसरा संख्या 416/223, 418/223, 520/223, 521/223, 522/223 व 523/223) प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में एकतरफा फैसला कर बंटवाड़ा करवाया गया तब वादग्रस्त आराजी पर दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को एकतरफा फैसला करवा दिया और राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवा दिया तथा प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है। यदि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। लिहाजा वाद के निर्णय तक मौजा जसाई के पुराने खसरा संख्या 223 रकबा 91.02 बीघा, खसरा संख्या 223/2 रकबा 10.00 बीघा कुल रकबा 101.02 बीघा (नये खसरा संख्या 416/223, 418/223, 520/223, 521/223, 522/223 व 523/223) भूमि में अप्रार्थीगण मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखे किसी प्रकार का हस्तान्तरण किसी अन्य से नही करे तथा न ही करवाए।

वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने हस्तगत आवेदन प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा पूर्व में माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 140/2001 अनवान भीमाराम बनाम हरजीराम प्रस्तुत किया था जिसमें प्राथमिक निर्णय दिनांक 10.08.2009 अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके पर मौत बिरान की उपस्थिति में मौका फर्द अनुसार प्रस्ताव माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.10.2009 को अन्तिम डिक्री जारी

सहायक कलक्टर

की गई। वर्ष 2011 से आज तक प्रकरण को लम्बा करने हेत मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है। माननीय न्यायालय ने राजस्व वाद संख्या 140/2001 पर विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर प्राथूमिक डिक्र व अन्तिम डिक्री जारी की है। प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने तथा बेदखल करने हेतु झूठा एवं मनगंढत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस करते हुए धारा 5 माद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए अंकित किया कि प्रार्थीगण को धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समूचित सुनवाई का अवसद देने के पश्चात विधि सम्मत निर्णय दिनांक 08.10.2009 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु डिक्री किया गया था। प्रार्थीगण केवल जानबूझ कर पैरवी नही की गई इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र म्याद से बाहर है तथा वर्ष 2011 से आज तक प्रकरण को लम्बा करने के लिए विचाराधीन है। माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 140/2001 अनवान भीमाराम बनाम हरजीराम प्रस्तुत किया था, जिसकी पैरवी नही कर केवल वाद को लम्बा करने की नीयत से 10 वर्ष लम्बा किया तथा 15.12.2006 को प्रार्थीगण स्वयं तथा उनके अधिवक्ता उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, जोकि एक विधि सम्मत प्रक्रिया है। हस्तगत वाद में प्राथमिक निर्णय दिनांक 10.08.2009 अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके पर मौत बिरान की उपस्थिति में मौका फर्द अनुसार प्रस्ताव माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.10.2009 को अन्तिम डिक्री जारी की गई। वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. 2016 (2) आरआरटी 1381
2. 2016 (2) आरआरटी 1017
3. 2016 (2) आरआरटी 1267

सहायक कलेक्टर (DDO) बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या: 83/2020 अनवान किशनाराम के कायम मुकाम कुशलसिंह वगैराह बनाम भीमाराम के कायम मुकाम चौखाराम वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

4. 2017 (1) आरआरटी 711
5. 2010 (2) आरआरटी 801
6. 2017 (1) आरआरटी 131
7. 2016–17 (एसयूपीपी) आरआरटी 158

वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है तथा मौके पर उभय पक्षों में विवाद है यदि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरणों के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नही की जाती है तो दावों की बहुलता बढेगी।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा जसाई के पुराने खसरा संख्या 223 रकबा 91.02 बीघा, खसरा संख्या 223/2 रकबा 10.00 बीघा कुल रकबा 101.02 बीघा (नये खसरा संख्या 416/223, 418/223, 520/223, 521/223, 522/223 व 523/223) प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। मौका फर्द दिनांक 22.09.2009 तहसीलदार बाडमेर की मौका फर्द के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष क्र.सं. 4 व 5 असहत थे। हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है तथा मौके पर उभय पक्षों में विवाद है यदि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरणों के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो दावों की बहुलता बढेगी।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरणों के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जसाई के पुराने खसरा संख्या 223 रकबा 91.02 बीघा, खसरा संख्या 223/2 रकबा 10.00 बीघा कुल रकबा 101.02 बीघा (नये खसरा संख्या 416/223, 418/223, 520/223, 521/223, 522/223 व 523/223) में उभय पक्ष मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।